न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या :29 / 2025(जी.सी.एम.एस. 2025 / 43)

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1. गुरमीत कौर पत्नी साधु सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरणपुर।	1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर। 2. तरसेम सिंह पुत्र साहब सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरणपुर। 3. मलकीयत सिंह पुत्र बंता सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एफ रूपनगर तहसील श्रीकरणपुर(मृतक) 3/1. रणजीत कौर पत्नी मलकीयत सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एफ रूपनगर। 3/2. नत्था सिंह पुत्र मलकीयत सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एफ रूपनगर। 3/3. अमरजीत कौर पत्नी गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एफ रूपनगर। 3/4. लखविन्द्र सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एफ रूपनगर। 3/5. सुखविन्द्र सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एफ रूपनगर। 3/6. वीरपाल कौर पुत्री गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी 50 एफ रूपनगर।

तारीख रजू:– 22.09.2023

उपस्थितः 1.श्री इन्द्राज सेजू, श्री मनीष जागिंड अधिवक्ता वादी

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,</u>

––निर्णय–– **दिनांक : 26.05.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 3 एफ ए, पटवार हल्का रूपनगर, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2071 ता 2074 के खाता संख्या 121/111 की कुल 13.740 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदारान के नाम से दर्ज है। जिसमें वादिया के नाम 0.657 हैक्टेयर भूमि दर्ज है। वादिया की पुत्री किरणदीप कौर पुत्री साधु सिंह के द्वारा अपने हक व हिस्सा की 0.657 हैक्टेयर भूमि वादिया को जरिए पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 01.02.2018 को हस्तान्तरण कर दी थी। जिससे वादिया के नाम से कुल 1.314 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तरण संख्या 544 से दर्ज हुई। उक्त खाता संख्या 121 में खातेदार मलकीयत सिंह, सरजीत सिंह पिसरान बन्ता सिंह के नाम 0.009 हैक्टेयर बहिस्सा बराबर भूमि दर्ज थी। परन्तु ऑनलाईन जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 बनते समय सहवन से टकनीय त्रुटि के कारण वादिया गुरमीत कौर का हिस्सा 1.114 हैक्टेयर हो गया और मलकीयत सिंह व सरजीत सिंह का 0.209 हैक्टेयर बहिस्सा बराबर भूमि दर्ज हो गयी। सरजीत सिंह फौत हो गया। जिसका 0.105 हैक्टेयर रकबा जरिए इन्तकाल संख्या 622 वसीयत के माध्यम से उसके पोते तरसेम सिंह पुत्र गुरसाहब सिंह के नाम दर्ज हो गया। ऑनलाईन जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 121 में गुरमीत कौर पत्नी साधु सिंह का हिस्सा 1.114 हैक्टेयर के स्थान पर 1.314 हैक्टेयर होना चाहिए और राजस्व अभिलेख के अनुसार खातेदार मलकीयत सिंह पुत्र बंता सिंह का हिस्सा 0.104 हैक्टेयर के स्थान पर 0.004 व तरसेम सिंह का हिस्सा 0.105 हैक्टेयर के स्थान पर 0.005 हैक्टेयर भूमि दर्ज होनी चाहिए। उक्त त्रुटिया एक लिपिकीय त्रुटि

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

है और राजस्व अभिलेख से भिन्न है। इस कारण वादिया राजस्व अभिलेख के अनुसार अपने हिस्सा दुरूस्त करवाने की अधिकारी है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 3 एफ ए, पटवार हल्का रूपनगर, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2071 ता 2074 के खाता संख्या 121/111 की कुल 13.740 हैक्टेयर भूमि में वादिया को 1.314 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जावे।

2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 827 दिनांक 21.04.2025 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक ऑनलाईन जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 121 में गुरमीत कौर पत्नी साधु सिंह के हिस्से को 1.114 हैक्टेयर की बजाय 1.314 हैक्टेयर, मलकीत सिंह पुत्र बन्ता सिंह का हिस्सा 0.104 हैक्टेयर की बजाय 0.004 हैक्टेयर व तरसेम सिंह पुत्र गुरसाहब सिंह का हिस्सा 0. 105 हैक्टेयर की बजाय 0.005 हैक्टेयर कर राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जाना उचित है। वादी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर तरसेम सिंह व मलकीयत सिंह को बतौर प्रतिवादी संख्या 2, 3 के रूप में संयोजित किया गया। प्रतिवादी संख्या 2, 3 को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 की तलवी का पंजीकृत सम्मन फौत होने की रिपोर्ट से वापिस प्राप्त। वादी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र 22 नियम 4 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 के वारिसान को बतौर प्रतिवादी संख्या 3/1 से 3/6 के रूप में संयोजित किया गया। प्रतिवादी संख्या 3/1 ता 3/6 को जरिए पंजीकृत डाक तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2, 3/1 ता 3/6 के द्वारा बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए।

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 3 एफ ए, पटवार हल्का रूपनगर, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2071 ता 2074 के खाता संख्या 121/111 की प्रमाणित प्रति, इन्तकाल संख्या 544 की प्रमाणित प्रति, इन्तकाल संख्या 622 की प्रमाणित प्रति, रिलीज डीड किरणदीप कौर बहक गुरमीत कौर दिनांक 01.02.2018 की प्रति, राजस्व ग्राम 3 एफ ए, पटवार हल्का रूपनगर, भू.अ. नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 121 की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है, कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 3 एफ ए, पटवार हल्का रूपनगर, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 121 में मलकीत सिंह पुत्र बन्ता सिंह का हिस्सा 0.104 हैक्टेयर के स्थान पर 0.004 हैक्टेयर भूमि, तरसेम सिंह पुत्र गुरसाहब सिंह का हिस्सा 0.105 हैक्टेयर के स्थान पर 0.005 हैक्टेयर भूमि व गुरमीत कौर के हिस्सा 1.114 हैक्टेयर भूमि के स्थान पर 1.314 हैक्टेयर भूमि दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया गया है। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक ऑनलाईन जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 121 में गुरमीत कौर पत्नी साधु सिंह के हिस्से को 1.114 हैक्टेयर की बजाय 1.314 हैक्टेयर, मलकीत सिंह पुत्र बन्ता सिंह का हिस्सा 0.104 हैक्टेयर की बजाय 0.004 हैक्टेयर व तरसेम सिंह पुत्र गुरसाहब सिंह का हिस्सा 0.105 हैक्टेयर की बजाय 0.005 हैक्टेयर कर राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जाना उचित है।

4. अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

–:आदेश:–

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136– भू–राजस्व अधिनियम–1956 भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 3 एफ ए, पटवार हल्का रूपनगर, भू.अ. नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 121 में मलकीत सिंह पुत्र बन्ता सिंह का हिस्सा 0.104 हैक्टेयर के स्थान पर 0.004 हैक्टेयर भूमि, तरसेम सिंह पुत्र गुरसाहब सिंह का हिस्सा 0.105 हैक्टेयर के स्थान पर 0.005 हैक्टेयर भूमि व गुरमीत कौर पत्नी साधु सिंह के हिस्सा 1.114 हैक्टेयर भूमि के स्थान पर 1.314 हैक्टेयर भूमि दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सर इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

गुरमीत कौर बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट
मुकदमा नम्बर **29/2025**
निर्णय दिनांक :- 26.05.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू, श्री मनीष जागिंड उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-भू-राजस्व अधिनियम-1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 3 एफ ए, पटवार हल्का रूपनगर, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 121 में मलकीत सिंह पुत्र बन्ता सिंह का हिस्सा 0.104 हैक्टेयर के स्थान पर 0.004 हैक्टेयर भूमि, तरसेम सिंह पुत्र गुरसाहब सिंह का हिस्सा 0.105 हैक्टेयर के स्थान पर 0.005 हैक्टेयर भूमि व गुरमीत कौर पत्नी साधु सिंह के हिस्सा 1.114 हैक्टेयर भूमि के स्थान पर 1.314 हैक्टेयर भूमि दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।
आज दिनांक 26.05.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	योग	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
दिनांक: 27.05.2025

क्रमांक: रीडर/2025/319
प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर